



# जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा)

नुमाईश कैम्प, निकट पानी की टंकी, सहारनपुर-247001

ई-मेल-dudasre@gmail.com

पत्रांक : 93 / डूडा / निविदा / 2026-27

दिनांक :- 11/05/2026

## अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), सहारनपुर द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि) योजना के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण, शमशान घाट निर्माण आदि कार्यों की निविदायें राजकीय विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों से वेबसाइट [etender.up.nic.in](http://etender.up.nic.in) पर ऑनलाईन माध्यम से आमन्त्रित की जाती है। सभी निविदायें समस्त अभिलेख वेबसाइट [etender.up.nic.in](http://etender.up.nic.in) पर दिनांक 13 मई 2026 से दिनांक 24 मई 2026 को समय 05:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगे, जहाँ से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। ठेकेदार दिनांक 24 मई 2026 को समय 05:00 बजे तक वेबसाइट [etender.up.nic.in](http://etender.up.nic.in) पर ऑनलाइन अपनी निविदा दर्द डाल सकते हैं। निविदा के साथ निर्धारित जमानत धनराशि एवं टैण्डर मूल्य ड्राफ्ट परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सहारनपुर के पक्ष में दिनांक 25 मई 2026 को समय 12:00 बजे तक कार्यालय डूडा सहारनपुर में रखे टैण्डर बॉक्स में डाले जाने अनिवार्य है। समिति द्वारा दिनांक 25 मई, 2025 समय 04:00 बजे निविदाओं को खोला जायेगा। टैण्डर बॉक्स खोलने के उपरान्त ही ऑनलाईन तकनीकी (टैक्निकल) निविदा खोली जायेगी। तकनीकी (टैक्निकल) निविदा में अर्ह पाए जाने वाले ठेकेदारों की ही वित्तीय (फाईनैशियल) निविदा खोली जायेगी। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा सहारनपुर में निहित है। कार्यों का विवरण एवं निविदा शर्तें निम्न प्रकार हैं।

क्र0 सं0	विकास खण्ड	कार्य का नाम	लम्बाई	आगणन की धनराशि रूपयें में	धरोहर राशि (10 प्रतिशत)	टैण्डर का मूल्य GST सहित	कार्य की अवधि
01	नगर क्षेत्र	वार्ड 31 मानकमऊ में बॉबी के घर से जय भगवान के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	170 मीटर	1142471.00	114247.00	1770.00	03 माह
02	नगर क्षेत्र	वार्ड 08 के ग्राम चकदेवली में इदरीश के मकान से शहीद के मकान की ओर व आफताब के मकान से अकरमके मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	140 मीटर	846087.00	84609.00	1180.00	03 माह
03	नगर क्षेत्र	ग्राम खत्रीवाला नगर निगम मानकमऊ में शमशानघाट का निर्माण।	01 कार्य	565195.00	56519.00	1180.00	03 माह
04	नगर क्षेत्र	गलीरा में शमशान घाट का निर्माण।	01 कार्य	565195.00	56519.00	1180.00	03 माह
05	पुर्वोरका	ग्राम गंदेवडा में एम0आई0एफ0 इण्टर कालेज के प्रांगण में इण्टरलॉकिंग टाईल निर्माण कार्य।	40 मीटर	469149.00	46915.00	590.00	03 माह
06	देवबन्द	ग्राम कुरडी में बाल्मिकी समाज के शमशानघाट में शवदाह गृह निर्माण कार्य।	01 नम्बर	565195.00	56519.00	1180.00	03 माह
07	देवबन्द	ग्राम राजूपुर में शमशानघाट में शवदाह गृह निर्माण कार्य।	01 नम्बर	565195.00	56519.00	1180.00	03 माह
08	नानौता	ग्राम पीपलों में शमशानघाट में शवदाह गृह निर्माण कार्य।	01 नम्बर	565195.00	56519.00	1180.00	03 माह
09	नानौता	ग्राम महेशपुर में शमशानघाट में शवदाह गृह निर्माण कार्य।	01 नम्बर	565195.00	56519.00	1180.00	03 माह
10	देवबन्द	ग्राम असदपुर करंजाली में रोड से सेवाराम के घर तक सी.सी.रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	105 मीटर	417112.00	41711.00	590.00	03 माह
11	देवबन्द	ग्राम गुनारसा में विनोद के मकान से रविन्द्र के मकान तक सी.सी.रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	170 मीटर	1063653.00	106365.00	1770.00	03 माह
12	देवबन्द	ग्राम जखवाला में मदन प्रधान के मकान से रमेश लौहार के मकान की ओर सी.सी.रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	160 मीटर	1116368.00	111637.00	1770.00	03 माह

0	विकास खण्ड	कार्य का नाम	लम्बाई	आगणन की धनराशि रूपयें में	धरोहर राशि (10 प्रतिशत)	टेण्डर का मूल्य GST सहित	कार्य की अवधि
13	देवबन्द	ग्राम भायला खुर्द में नेपाल के मकान से रणजीत के मकान तक सी.सी.रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	80 मीटर	476832.00	47683.00	590.00	03 माह
14	नानौता	ग्राम उमरी मजबता का मजरा हसनपुर में भूमिया खेडा से बिरमपाल के मकान तक व विनोद के मकान से फूलो देवी के मकान तक सी.सी.रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	120 मीटर	662322.00	66232.00	1180.00	03 माह
15	नानौता	ग्राम लुकादडी में भूपसिंह के मकान से रिकू के मकान की ओर सी.सी.रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	95 मीटर	412758.00	41276.00	590.00	03 माह
16	नानौता	ग्राम महेशपुर में नकली प्रधान के मकान से विपिन के खेत की ओर सी.सी.रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	300 मीटर	2118061.00	211806.00	2950.00	03 माह
17	नानौता	ग्राम शिमलाना में सचिन की दुकान से राजपाल के मकान की ओर सी.सी.रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	225 मीटर	1718552.00	171855.00	2360.00	03 माह
18	नानौता	ग्राम सिसौनी में सुरेन्द्र फौजी के मकान से अजमेर के घर तक सी.सी.रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	175 मीटर	981230.00	98123.00	1180.00	03 माह
19	नानौता	ग्राम पीपलो में सतेन्द्र के मकान से सोनू के मकान तक व रामभूल के मकान से रामनाथ के मकान व बीरसिंह के मकान तक सी.सी.रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	165 मीटर	944024.00	94402.00	1180.00	03 माह
20	देवबन्द	ग्राम मकनपुर में नीटू के मकान से विनोद के घर की ओर सी.सी.रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	180 मीटर	1267492.00	126749.00	1770.00	03 माह
21	नागल	ग्राम अल्हनपुर अतलाखेडी में सुमित के खेत से प्रवेश के मकान तक सी.सी.रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	250 मीटर	1410668.00	141067.00	1770.00	03 माह
22	नागल	ग्राम बचीटी में पंजाब नेशनल बैंक से सोनू के मकान तक व मुकेश प्रधान के मकान से रविन्द्र मास्टर के मकान तक सी.सी.रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	225 मीटर	1342663.00	134266.00	1770.00	03 माह
23	नागल	ग्राम इस्माईलपुर गुर्जर में गुलाब के मकान से कुरडी के मकान की ओर सी.सी.रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	110 मीटर	634255.00	63425.00	1180.00	03 माह
24	नागल	ग्राम तैय्यबपुर बडा में मैन रोड से शमशान घाट तक व गजराज के मकान से पहलसिंह के प्लॉट तक सी.सी.रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	100 मीटर	646513.00	64651.00	1180.00	03 माह
25	नागल	ग्राम अब्दुल्लापुर में नरेश वकील के मकान से ईश्वर के मकान की ओर सी.सी.रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	165 मीटर	1253854.00	125385.00	1770.00	03 माह

**शर्त :**

- जिन निविदादाताओं का पंजीकरण पूर्व से जिला नगरीय विकास अभिकरण, सहारनपुर कार्यालय में नहीं है उन निविदादाताओं को शासनादेश संख्या 419/2019/1264/69-1-2019-14(34)/2019 दिनांक 05 नवम्बर 2019 के प्राविधानानुसार पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, जिस हेतु "ए" श्रेणी के निविदाता जो पिछले तीन वर्षों में कम से कम कुल 02 करोड़, "बी" श्रेणी के निविदाता जो पिछले तीन वर्षों में कम से कम कुल 75 लाख तथा "सी" श्रेणी के निविदाता जो पिछले तीन वर्षों में कम से कम कुल 25 लाख से अधिक कुल लागत का इण्टरलॉकिंग/सीसी सड़क नाली निर्माण सफलतापूर्वक किये हो, वह निविदा में प्रतिभाग कर सकते हैं तथा उन्हें उपरोक्तानुसार प्रमाणित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा ई-निविदा में समान कार्य का ही अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- जिन निविदादाताओं का पंजीकरण जिला नगरीय विकास अभिकरण, सहारनपुर कार्यालय में पूर्व से है उनके द्वारा वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष के अतिरिक्त विगत 03 वर्षों में समान ऐसे पूर्ण कार्यों का अनुभव संलग्न करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम अनुभव का विवरण निम्नवत् है।
  - 03 समान ऐसे पूर्ण कार्य जिनमें से प्रत्येक कार्य की लागत टेंडर की अनुमानित लागत का 40 प्रतिशत से कम न हों।  
या
  - 02 समान ऐसे पूर्ण कार्य जिनमें से प्रत्येक कार्य की लागत टेंडर की अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत से कम न हों।  
या
  - 01 समान ऐसे पूर्ण कार्य जिनमें से प्रत्येक कार्य की लागत टेंडर की अनुमानित लागत का 80 प्रतिशत से कम न हों।


3. निविदा के साथ आगणन की धनराशि की 10 प्रतिशत धरोहर राशि में से 02 प्रतिशत निविदा के साथ एवं 03 प्रतिशत अनुबन्ध के समय परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सहारनपुर के नाम से बन्धक कराकर जमा करना अनिवार्य है तथा शेष 05 प्रतिशत सम्बन्धित ठेकेदार के प्रथम बिल के भुगतान से कटौती की जाएगी।
4. प्रत्येक बिडर्स को रू0 100 के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर के शपथ पत्र पर सभी सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्रों पर ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता कि बिड्स कैपेसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता) आंकलित की जा सकें।
5. "ए" श्रेणी के निविदादाता जो पिछले तीन वर्षों में कम से कम 02 करोड़, "बी" श्रेणी के निविदादाता जो पिछले तीन वर्षों में कम से कम 75 लाख तथा "सी" श्रेणी के निविदादाता जो पिछले तीन वर्षों में कम से कम 25 लाख से अधिक लागत का इण्टरलॉकिंग/सीसी सड़क नाली निर्माण सफलतापूर्वक किये हों, वह निविदा में प्रतिभाग कर सकते हैं तथा उन्हें उपरोक्तानुसार प्रमाणित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा ई-निविदा में समान कार्य का ही अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा।
6. शासनादेश संख्या-3070/78-2-2018-42आई0टी0/2017(22) आई0टी0 एवं इलैक्ट्रनिकस अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 03-01-2018 के बिन्दु संख्या-04 के अनुसार ई-टेंडरिंग के समय निविदादाताओं द्वारा निर्धारित प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलेखों (निविदा मूल्य की जमा रसीद, हैसियत प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र के अलावा अद्यतन तीन वर्ष का आई0टी0आर0 एवं बैलेन्सीट, जीएसटी, पैन, श्रम विभाग रजिस्ट्रेशन, टूल प्लान्ट एवं विभाग द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र व निर्धारित श्रेणी में पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी निविदा के समय वैबसाईट पर डाली जायेगी, प्रथम न्यूनतम दर निविदादाता से कार्यदेश के पूर्व धरोहर धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा नोटरी शपथ पत्र एवं धरोहर-धनराशि मूलरूप में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदादाता के विरुद्ध वाद दायर कर कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा उसका पंजीकरण निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही भी की जायेगी।
7. निविदा के साथ अद्यतन बैंक लिक्विड एसेट्स अपलोड करना अनिवार्य होगा।
8. ठेकेदार का पंजीकरण निविदा की सबमिट/जमा करने की तिथि के 06 माह तक की वैधता का होना अनिवार्य है।
9. अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। (शपथ-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।)
10. कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। (शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
11. कार्य का डिफेक्ट लाईबिलिटी पिरियड कार्य समाप्ति के बाद दो वर्ष तक होगा, इस अवधि में मार्ग की सतह में किसी प्रकार के दोष को ठीक करने की जिम्मेदारी पूर्ण से निविदादाता की होगी।
12. कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार सामग्री की मात्रा में विचलन हो सकता है, जिसे पूर्ण करने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा।
13. रोडी/पथर /कोर्सेण्ड की वैध रॉयल्टी ठेकेदार द्वारा अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर ठेकेदार के बिल से 6 गुणा नियमानुसार विभाग द्वारा कटौती कर जमा कर दी जायेगी, जिसके लिए विभाग न होकर ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
14. कार्य के पूर्व/प्रगति व इण्टरलॉकिंग टाईल्स/सी0सी0 सड़क लगाने के पश्चात कार्य पूर्ण के डिजिटल जी0पी0एस0 फोटोग्राफी (एक समान लोकेशन)/रिकाडिंग पत्रावली में रखे जाने पर ही भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
15. जिस ठेकेदार/फर्म के साथ हुए अनुबन्ध में निर्माण कार्यों में विलम्ब/गुणवत्ता संबंधित शिकायते प्राप्त हुई हो ऐसे ठेकेदारों/फर्मों की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
16. अनुमानित आगणन धनराशि से 10 प्रतिशत से अधिक निम्न निविदा डालने पर उतनी अतिरिक्त धनराशि (परफोरमेन्स गारन्टी) नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या 622/23-12-2012-2आडिट/08टी0सी0 2 लोक निर्माण अनुभाग-2 दिनांक 08 जून 2012 के अनुसार निविदा न्यून होने पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा स्वीकृति के उपरान्त अनुबन्ध से पूर्व जमा करनी होगी।
17. निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस होगी व एक बार प्रस्तुत की गयी निविदा वापस नहीं होगी। इस आशय का शपथ पत्र रू0 100 के नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पर रू0 1 के रसीदी टिकट के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
18. स्थल का निरीक्षण निविदादाता को टेंडर देने के पूर्व करना होगा बाद में किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
19. न्यूनतम निविदादाता को कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के क्रय का फर्म द्वारा निर्गत बिल फर्म का जी0एस0टी0 नम्बर सहित पत्रावली पर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उसके उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में न्यूनतम निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
20. निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न करने की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को ब्लैक लिस्ट करने पर विचार किया जायेगा। जिस पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा द्वारा गुण -दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा, जो निविदादाताओं को मान्य होगा।
21. सफल निविदादाता को कार्य प्रारम्भ से पूर्व सम्बन्धित कार्य का श्रम विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
22. कार्य निष्पादन के उपरान्त तत्समय शासन से प्रभावी जी0एस0टी0 नियमानुसार मान्य होगा।
23. निविदादाता द्वारा प्रत्येक निविदा के साथ निम्नांकित प्रपत्र जिला नगरीय विकास अभिकरण(डूडा), सहारनपुर कार्यालय में पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ऐसा न किये जाने की दशा में निविदा नॉन रिस्पॉन्सिव घोषित कर दी जायेगी। डाक में हुई देश के लिये निविदा आमंत्रणकर्ता/विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे।
24. आई0टी0बी0 के क्लॉज संख्या 4.4 बी(सी)(प) के अनुसार कोई भी निविदादाता जिनका सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट सम्बन्धी (प्रथम रक्त सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी) विभाग में किसी भी पद पर कार्यरत होगा, वह निविदा डालने के लिए योग्य नहीं होगा। निविदादाता द्वारा यह शपथ पत्र भी दिया जायेगा, जिससे उसके सम्बन्धियों के नाम तथा उनके पदनाम का उल्लेख होगा, जो कि कार्यदायी विभाग एवं उससे सम्बन्धित में कार्यरत हों।
25. निविदादाता को निविदा प्रपत्र पर अपने फर्म की श्रेणी व प्रोप्राइटर का स्पष्ट नाम, पता, हस्ताक्षर, मोबाईल नंबर, कार्य की संख्या व कार्य का नाम स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र पर किसी भी प्रकार की कटिंग एवं संशोधन मान्य नहीं होगा। यदि इस प्रकार की कोई भी त्रुटि निविदा प्रपत्र पर पाई गयी तो उसका समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
26. कराये गये कार्य के बिजकों से आयकर, श्रम उपकर व रॉयल्टी, जी0एस0टी0 अथवा अन्य कटौती भुगतान के समय प्रभावी शासकीय नियमों के अनुरूप की जायेगी।

27. उपरोक्त कार्य पर जी0एस0टी0 माल एवं सेवाकर अधिनियम-2017 यथा संशोधित प्राविधानों के अनुसार लागू होगी।
28. किसी भी ठेकेदार/फर्म द्वारा किये कार्यों के उपरान्त, तकनीकी ऑडिट द्वारा जाँच में पाये जाने वाली कमियां या सामग्री में पाये जाने वाले किसी दोष हेतु पूर्णतया ठेकेदार/फर्म जिम्मेदार होगी और भुगतान उपरान्त भी कार्य में पाये जाने वाले दोष और सामग्री की गुणवत्ता में की पाये जाने के लिए ऐसे कार्यों/सामग्री की लागत वसूलने का अधिकार विभाग का होगा।
29. निविदा निरस्त होने पर किसी भी दशा में निविदा शुल्क वापस नहीं होगी।
30. डूडा सहारनपुर में श्रेणीवार पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा हैसियत व अनुभव निम्न तालिका के अनुरूप अपनी सीमान्तर्गत निविदा स्वीकार्य होगी।

श्रेणी	आवश्यक हैसियत प्रमाण पत्र	कार्य का अनुभव	कार्य वर्गीकरण	पंजीकरण शुल्क (वित्तीय वर्ष हेतु)
ए	50 लाख	पिछले तीन वर्षों में कम से कम 2 करोड़ से अधिक लागत के सिविल कार्य।	किसी भी राशि तक के कार्य	60,000-00रु0
बी	30 लाख	पिछले तीन वर्षों में कम से कम 75 लाख से अधिक लागत के सिविल कार्य।	30 लाख तक के कार्य	40,000-00रु0
सी	20 लाख	पिछले तीन वर्षों में कम से कम 25 लाख से अधिक लागत के सिविल कार्य।	15 लाख तक के कार्य	20,000-00रु0

नोट :- पंजीकरण शुल्क एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगा, जो जमा करने के बाद वापस नहीं किया जाएगा।


31. अन्य सम्बन्धित जानकारियां कार्यालय डूडा, सहारनपुर से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती हैं।
32. डूडा में अपंजीकृत निविदादाता की न्यूनतम निविदा स्वीकृत होने पर पंजीकरण की शर्तों यथा-हैसियत व अनुभव आदि अभिलेख पूर्ण व सही पाये जाने पर ही पंजीकरण उपरान्त कार्यादेश निर्गत किया जाएगा। अभिलेख पूर्ण न होने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जाएगी।

  
डिप्टी कलक्टर/परियोजना अधिकारी  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
सहारनपुर।

**पत्रांक एवं दिनांक तदैव।**

**प्रतिलिपि :** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण(डूडा), सहारनपुर।
2. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), सहारनपुर।
3. अवर अभियन्ता, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), सहारनपुर।
4. लेखाकार, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), सहारनपुर।
5. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

  
डिप्टी कलक्टर/परियोजना अधिकारी  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
सहारनपुर।



मो-9151999480

**जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा)**

नुमाईश कैम्प, निकट पानी की टंकी, सहारनपुर-247001

ई-मेल-dudasre@gmail.com

पत्रांक : 93 / डूडा / निविदा / 2025-26


दिनांक:- 11/05/2026

**अल्पकालीन ई-निविदा-सूचना**

जिला नगरीय विकास अभिकरण, सहारनपुर द्वारा वर्ष 2026-27 में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि) योजनान्तर्गत जनपद सहारनपुर की विभिन्न विकास खण्डों में सी0सी0 रोड़/नाली, शमशान घाट, आदि कार्यों की निविदायें राजकीय विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों से (डूडा की श्रेणी ए, बी, सी की सीमा के अन्तर्गत) वेबसाइट etender.up.nic.in पर ऑनलाईन के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा के साथ निर्धारित जमानत धनराशि एवं टेण्डर मूल्य ड्राफ्ट "परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सहारनपुर (PO DUDA-SAHARANPUR)" के पक्ष में कार्यालय जिला नगरीय विकास अभिकरण, सहारनपुर में रखे टेण्डर बॉक्स में दिनांक 25 मई, 2026 को समय 12:00 बजे तक डाले जाने अनिवार्य है। विस्तृत शर्तें, विवरण, एवं निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है।


E-Bid Reference	93 /DUDA- MLA (2026-27)
Publish Date and time for tender	Date : 13 MAY 2026 - 12:00 PM
Last Date time for submission of E-Bids	Date : 24 May 2026 - 05:00 PM
Date and time of opening bids	Date : 25 May 2026 - 04 :00 PM
Palace of opening of E-bids	DUDA Office - Saharanpur
E-Bids security of-Bids	10% Security of tender value
E-tender Documents Processing	As per tender list

नोट :- बिना धरोहर राशि/टेण्डर मूल्य के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

  
डिप्टी कलेक्टर/परियोजना अधिकारी  
जिला नगरीय विकास अभिकरण,  
सहारनपुर।  
11/05/26

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र को इस आशय से कि उपरोक्त विज्ञापन अपने समाचार पत्र में न्यूनतम स्थान एवं डी0ए0वी0पी0 दरो पर में प्रकाशित कराते हुए बिल 02 प्रतियों में कार्यालय में उपलब्ध करने का कष्ट करें।

  
डिप्टी कलेक्टर/परियोजना अधिकारी  
जिला नगरीय विकास अभिकरण,  
सहारनपुर।  
11/05/26